

संख्या-143 /2018/3311/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2018-1(पी)/2015टीसी

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग लखनऊ दिनांक 06 नवम्बर,2018
विषय- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,बिजनौर के भवन निर्माण तथा कार्यशाला के जीणोद्वार एवं संस्थान के सौन्दर्यीकरण हेतु अवशेष धनराशि जारी किये जाने के संबंध में ।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3183/तीन/वि-4/जीर्णो/2016-17 दिनांक 11-09-2018 के अनुक्रम में अवगत कराना है कि 1960 के दशक में निर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,बिजनौर के भवन निर्माण तथा कार्यशाला के जीणोद्वार एवं संस्थान के सौन्दर्यीकरण हेतु शासनादेश संख्या-272/2016/3250/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2016-1(पी)/2015, दिनांक 15 जुलाई,2016 द्वारा रूपये 250.78 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रूपये 40.00 लाख तथा शासनादेश संख्या10/2018/349/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2018-2(पी)/2015टीसी दिनांक 06-02-2018 द्वारा रू0 100.00लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,बिजनौर के भवन निर्माण तथा कार्यशाला के जीणोद्वार एवं संस्थान के सौन्दर्यीकरण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवशेष धनराशि रूपये 110.78 लाख (रूपये एक करोड दस लाख अठहत्तर हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति शासनादेश संख्या-272/2016/3250/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2016-1(पी)/2015, दिनांक 15 जुलाई,2016 तथा शासनादेश संख्या10/2018/349/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2018-2(पी)/2015टीसी दिनांक 06-02-2018 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-69 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-203-रोजगार-05-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण-24 वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप में वित्त विभाग एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को प्रतिमाह उपलब्ध कराये जायेंगे तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-03-2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
- 2- सम्बन्धित प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (द्वारा निदेशक)
- 3- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी ।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी,जवाहर भवन,उ०प्र०,लखनऊ
- 5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
- 6- वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० (पैकफैड) ,लखनऊ ।
- 8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 उत्तर प्रदेश,जवाहर, भवन,लखनऊ
- 9- परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण प्रखण्ड,मुरादाबाद ।
- 11- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
विशेष सचिव